

अपर जिला न्यायालय  
सुझुनं

30.8.25 अधिवक्ता वादिया उपर। अधिवक्ता परिवारीगत  
उपर। स्नाक्ष्य वादी हेतु अधिवक्ता वादी के डवल कर  
चाही चूंकि उपकरण मागनीपं रिाए के लक्षित  
प्रकारों की व्रिधि में क्र.सं. 5-2 पर दर्ज है। अतः  
आपंडा पेथी पर स्नाक्ष्य वादी का वरूपक रूप ले  
पेथ करे। पञ्जावली वान्त स्नाक्ष्य वादी दिनांक  
20/8/25 को पेथ हो।

अपर जिला न्यायाधीश सुझुनं  
सुझुनं